म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल

मध्यावधि ऋण का आवेदन-पत्र

(अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा)

क्रमांक

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पद नाम .... पदस्थी स्थान ....

प्रति,

अध्यक्ष
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी
सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल

महोदय,

1. मैं उपरोक्त सहकारी साख समिति का सदस्य हूँ तथा (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रु. .... के मध्यावधि ऋण हेतु आवेदन करता/करती हूँ जिसका समिति के वर्तमान उप नियमों/नियमों एवं भविष्य में समय-समय पर इसमें किये जाने वाले परिवर्तन/संशोधन के अनुसार भुगतान करने हेतु वचनबद्ध हूँ। यह ऋण मैं ...., ... मासिक किश्तों में अदा करूंगा/करूंगी।
2. मुझे यह ऋण .... कारण से चाहिए। जिसके उपयोग का मैं उचित प्रमाण-पत्र दूंगा/दूंगी
3. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक .... से राज्य सहकारी बैंक की स्थाई सेवा में हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक....................... है तथा बैंक में मेरी सेवा की अवधि .... वर्ष शेष है।
4. मैं यह घोषित करता/करती हूं कि मैने किसी अन्य सहकारी साख समिति से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही मैं किसी अन्य सहकारी साख समिति का/की सदस्य हूँ।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी मासिक आय एवं देनदारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है (बैंक द्वारा जारी अद्यतन वेतन पत्रक की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

आय का विवरण		देनदारी/कटौती का विवरण	
मूल वेतन	रु.	जीवन बीमा की किश्त	रु. ....
महंगाई भत्ता	रु.	भविष्य निधि किश्त	रु. ....
मकान किराया	रु.	जीवन बीमा की ऋण किश्त रु.	रु. ....
अन्य भत्ते	रु.	भविष्य निधि से ऋण किश्त रु.	रु. ....
		गृह निर्माण सहकारी समिति से लिये गये ऋण की किश्त	रु. ....
		सायकल/स्कूटर/कार ऋण किश्त	रु. ....
		मकान भाड़ा	रु. ....
		अन्य ऋणों की कटौती	रु. ....
		साख संस्था की ऋण किश्त	रु. ....
कुल आय	रु.	कुल कटौती योग	रु. ....
		शुद्ध प्राप्त वेतन	रु. ....

6. मेरे भविष्य निधि खातें में कुल रु. .... जमा है...

7. मैं निम्नलिखित जमानतदार (प्रतिंभू) प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ जिन्होंने अपनी सहमति दी है। (जमानतदार बैंक की सेवा में स्थाई कर्मचारी होना चाहिए तथा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. का संदस्य होना अनिवार्य है।)

प्रतिभू (जमानतदार) (एक) (1)

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदस्थी स्थान ....

प्रतिभू (जमानतदार) (दो) (2)

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदस्थी स्थान ....

8. मैं यह घोषित करता /करती हूँ कि उपरोक्त जमानतदारों में से एक अथवा दोनों सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवामुक्ति अथवा अन्य किसी भी कारण से बैंक सेवा में नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण अदायगी अवधि तक के लिये मेरे द्वारा अन्य जमानतदार की जमानत प्रस्तुत की जावेगी अथवा अन्य जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर सकने की स्थिति में मेरे द्वारा मेरे विरूद्ध बकाया ऋण की पूर्ण राशि तत्काल वापस की जावेगी।

9. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सही है एवं किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं पूर्ण रुपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. ....पिता/पति.. बैंक के रिकार्ड के अनुसार दिनांक .... से बैंक में कार्यरत् है (दैनिक वेतन की अवधि न दर्शाये) एवं दिनांक .... को उसकी सेवा स्थाई की गई है तथा सेवा निवृत्ति का दिनांक .... है। बैंक रिकार्ड के अनुसार इनकी जन्मतिथि दिनांक .... है।

स्थान :

दिनांक :

नियोक्ता के हस्ताक्षर
एवं मुद्रा

DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.......................

Date.........................

On demand, I..

promise to pay the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit, Bhopal or order the sum of Rs. ....

(Rupees.. only) with interest thereon at the rate of............................

Per annum for value received.

Rs. ....

Revenue Stamp Rs.2.00

Witness : -

Signature...

Name ....

Address...

....

Borrower :-

Signature...

Name ....

Address...

....

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

....

द्वारा

अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या.

भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल से अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ, कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समति मर्या., भोपाल से दिनांक .... को प्राप्त किये गये ऋण राशि रु. .... की नियमित राशि रु. .... प्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जावे। किसी कारणवश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जावे।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता/म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्युटी, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्ति योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा।

गवाह	शपथकर्ता (ऋणी)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
पूरा नाम	पूरा नाम ....
पद	पद ....
स्थान	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....

प्रति,
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

....

द्वारा -
अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक
कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल

जमानतदार (प्रतिभू) बंधपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ती अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से श्री .... को उनके ऋण प्रार्थना-पत्र दिनांक .... पर म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख सामिति मर्या. भोपाल द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के लिए जमानतदार के रूप में स्वयं को वचनबद्ध करते है। तदनुसार हम वचन देते है कि यदि ऋणी किसी प्रकार से ऋण किश्त ब्याज अथवा अन्य व्यय समिति को समय पर नहीं चुकायेगा/चुकायेगी, तब हम हमारे उत्तराधिकारी, रिक्तसाधक, निवर्तक, कार्यपालक इत्यादि समिति की उपविधियों एवं समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अधीन ऋणी पर बकाया रकम समिति की इच्छा पर एक मुश्त अथवा ऐसी किश्तों में जिन्हें समिति निर्धारित करे समिति को संयुक्त रूप अथवा अलग-अलग चुकाने को बाध्य है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह समिति में निहित हमारे किसी हित रकम को जब्त कर लें एवं बकाया ऋण से उसका समायोजन कर लें। समिति को यह भी अधिकार है कि ऋण की राशि हमारे वेतन, समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अथवा अन्य आय/निजी संपत्ति से वसूल करे। हम अपने नियोक्ता, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को यह अधिकार देते है कि हमारे जीवनकाल में सेवा से सेवानिवृत्ति, पदच्युति, त्यागपत्र के कारण सेवा में न रहने पर अथवा मरणोपरांत म.प्र. राज्य सहकारी बैंक हमारे वेतन, लाभांश समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अन्य आय से सहकारी समिति की इच्छानुसार एक मुश्त अथवा किश्तों में ऋण की संपूर्ण रकम वसूल कर समिति को भेज दें। हम संयुक्त रूप से यह अधिकार/अनुमति देते है कि ऋणी मूल अनुबंध में ऋण की किश्त चुकाने की अवधि में वृद्धि ब्याज दर में परिवर्तन एवं ऋणी से अन्य कोई समझौता कर सकेगी जिसकी हमें पूर्व सूचना अथवा हमारी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा यह कि यह हम पर संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग उसी प्रकार बाध्यकारी रहेगा जैसा कि हमने मूल रूप में वचन दिया था।

गवाह नं. (एक)

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
शाखा ....

जमानदार (एक)

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
शाखा ....

गवाह (दो)

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
शाखा ....
दिनांक ....

जमानतदार (दो)

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
शाखा ....
दिनांक ....

प्रति,
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
....

द्वारा
अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक
कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या.
भोपाल

जमानतदार (प्रतिभू) का अधिकार पत्र

महोदय,

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल द्वारा दिनांक .... को श्री .... (ऋणी) को प्रदत्त ऋण राशि रु. .... का/की मैं/हम प्रतिभू हूं/है अत: यदि ऋणी निश्चित तिथि तक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की सेवा से त्यागपत्र/पदच्युत/सेवानिवृत्त अथवा अन्य किन्ही भी कारणों से सहकारी साख समिति का ऋण समय पर नहीं चुकाता है तो मैं/हम उक्त ऋण, ब्याज एवं अन्य खर्चों को चुकाने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे। हम/मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार देते है/देता हूँ/कि हमारे/मेरे वेतन से अथवा और हमें/मुझे दिये जाने वाले समूह बीमा, ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण या अन्य भुगतान में से म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल को उक्त राशि ऋण खाता पेटे देय बकाया राशि के विरूद्ध जमा करने भेज दें ताकि श्री .... को दिये गये ऋण रु. .... की मय ब्याज सहित राशि चुकाई जा सके।

हम/मैं वचन देते है/देता हूँ कि यह अधिकार पत्र तब तक वापस अथवा निरस्त नहीं होगा जब तक श्री .... का ऋण, ब्याज एवं अन्य खर्चों की बकाया रकम म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल को पूर्णत: चुका नहीं दी जाती और इस आशय का म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर दिया जाता।

आपका/आपकी विश्वसनीय

गवाह नं. (एक)
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
स्थान ....
दिनांक ....

प्रतिभू (एक)
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
स्थान ....
दिनांक ....

गवाह नं. (दो)
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
स्थान ....
दिनांक ....

प्रतिभू (दो)
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद ....
स्थान ....
दिनांक ....

जमानतदार (प्रतिभू) का विवरण

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्री .... को म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा दिये जाने वाले ऋण के प्रतिभू (जमानतदार) है एवं निम्नानुसार वांछित सत्य एवं सही जानकारी का विवरण प्रस्तुत कर रहे है :-

	प्रतिभू-1	प्रतिभू-2
नाम प्रतिभू-	1.	2. ....
स्थाई सेवा की तिथि	....	....
बैंक में सेवा की शेष अवधि	....	....
मूल वेतन	....	....
मंहगाई भत्ता	....	....
मकान किराया	....	....
अन्य भत्ते	....	....
योग	....	....
मासिक वेतन से कटौत्री	....	....
समिति से लिया गया ऋण बकाया		
समस्त कटौत्री के पश्चात् प्राप्त वेतन रु.	....	....
भविष्य निधि में जमा राशि	....	....

मैं/हम घोषित करता/करती है कि श्री .... को स्वीकृत ऋण रु. .... के लिए जमानतदार की हैसियत से स्वीकृत संपूर्ण ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य खर्चों के भुगतान तक संपूर्ण बकाया राशि के लिए हमारा/मेरा उत्तरदायित्व रहेगा। साथ में ही मैं/हम घोषित करते/करता/करती है कि हम प्रत्येक माह न्यूनतम निर्धारित अनिवार्य जमा राशि नियमित रूप में भेजते रहेंगे।

जमानतदार (1)

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

मुख्यालय/शाखा/जिला बैंक ....

दिनांक ....

प्रतिभू जमानतदार (2)

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

मुख्यालय/शाखा/जिला बैंक ....

दिनांक ....

"नियोक्ता का प्रमाण-पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जमानदारों के संबंध में बैंक रिकार्ड के अनुसार सेवा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

प्रतिभू (1)

1. जन्म तिथि ....
2. सेवा ग्रहण तिथि ....
3. स्थाई होने की तिथि ....
4. सेवानिवृत्ति की तिथि ....

प्रतिभू (1)

1. जन्म तिथि ....
2. सेवा ग्रहण तिथि ....
3. स्थाई होने की तिथि ....
4. सेवानिवृत्ति की तिथि ....

नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मार्यादित. भोपाल

ऋणी द्वारा निष्पादित वचन-पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करता/करती हूँ कि म. प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा स्वीकृत मेरे ऋण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उल्लेखित शर्तों एवं संस्था के उपनियमों के अधीन रुपये .... शब्दों में रु. .... मुझे प्राप्त हो गये हैं।

2. मैं स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग मेरे प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

3. मैं वचन देता हूँ कि प्रत्येक माह किश्त के रूप में रु. .... एवं ब्याज की यह रकम उस दर पर जिसे समिति समय-समय पर निश्चित करे चुकाऊँगा/चुकाऊँगी।

4. मैं वचन देता/देती हूँ कि निश्चित तिथि अथवा तिथियों पर ऋण चुकता कर दूँगा/दूँगी तथा समिति के वर्तमान उपनियमों का पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूँगी।

5. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी साधक निवर्तक कार्यपाल समिति के नियमों के अधीन बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए बाध्य रहेंगे।

6. लगातार तीन माह की किश्त न चुकाने पर समिति का अधिकार होगा कि ब्याज सहित बकाया राशि एवं अन्य व्यय एक मुश्त में चुकाने हेतु बाध्य कर सकेगी।

7. किसी भी कारणवश वेतन से ऋण राशि का मासिक चुकाया नहीं हो पाता है तो मैं सीधे ही समिति ऋण की रकम एवं ब्याज देने हेतु बाध्य हूँ।

8. मेरे मृत्यु/सेवानिवृत्त सेवा से त्याग पत्र/पदच्युत अथवा मासिक किश्त चुकाने में भूल करने के कारण समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि समिति में किसी भी रूप में निहित मेरे/हित/रकमों को बिना मुझे अथवा उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये जब्त कर लें।

9. मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि मेरी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/पदच्युत भूल होने की स्थिति में मेरे वेतन, बकाया वेतन, बोनस ग्रेच्यूटी अथवा अन्य देय जिसकी मुझे पात्रता हो कि राशि से समिति के बकाया ऋण एवं ब्याज की रकम वसूल कर समिति को भुगतान कर दें।

10. मैं वचन देता/देती हूँ कि जब तक ऋण और ब्याज की रकम अथवा कोई अंश बिना चुकता रह जायेगा तब तक मैं वेतन से भुगतान करने वाले अधिकार वापस नहीं लूंगा/लूंगी अथवा उसको निरस्त नहीं कर सकूंगा/सकूंगी।

11. मैं समिति को अधिकार देता हूं/देती हूं कि ऋण भुगतान में चूक करने की स्थिति में वह मेरे किंसी भी/अथवा बैंक की शाखाओं में मेरे नाम से खोले गये बचत खाते करंट अकाउंट, रेकरिंग जमा खाते फिक्स डिपॉजिट एवं लॉकर्स में रखी गई सामग्री से अथवा मेरे चल एवं अचल संपत्ति से ऋण की बकाया राशि वसूल कर लें।

12. यदि मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ब्याज ऋण किश्त की अदायगी नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में कालातीत ऋण राशि पर समिति को एक प्रशित दण्ड ब्याज प्रभारित करने का अधिकार होगा।

13. यदि मैं उक्त स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजन हेतु खर्च नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह एक मुश्त बकाया ऋण राशि वसूल कर सकेगी।

14. मैं समिति को अधिकार देता/देती हूं कि वह मेरे द्वारा आवेदन पत्र में आवेदित ऋण राशि में आवश्यकतानुसार संशोधन व सुधार कर सकेगी।

गवाह :	ऋण आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
पूरा नाम	पूरा नाम ....
पद	पद ....
पदस्थी कार्यालय	पदस्थी कार्यालय ....
....	....

मूल्य ₹ -

अधिकार–पत्र

म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. द्वारा मुझे रूपये ....लाख का मध्यावधि ऋण स्वीकृत किया गया है। उक्त ऋण के संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है।

1. मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण वसूली मेरे वेतन से निरंतर की जावेगी। समिति द्वारा बैंक को वेतन से ऋण राशि की कटौती हेतु प्रेषित मांग सूची में से मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण अदायगी के पूर्व मेरा नाम नहीं हटाया जावेगा। यदि मेरे द्वारा नगद राशि ऋण पेटे जमा कराई भी जाती है तो वह अग्रिम वसूली मानी जावेगी व इससे वेतन से कटौती हेतु प्रेषित मांग सूची प्रभावित नहीं होगी
2. ऋण की सुरक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा समिति के पक्ष में अग्रिम चेक प्रदाय किये गये हैं। यद्यपि मुझे स्वीकृत ऋण की वसूली मेरे वेतन से की जावेगी तथापि वेतन से कटौती नहीं होने से किश्त वसूली में चूक होने की स्थिति में समिति को यह अधिकार प्रदान करता हूँ कि वह उक्त प्राप्त अग्रिम चैक को प्रस्तुत कर सकती है व अनादरित होने की स्थिति में समिति को निगोशिएबल इन्स्ट्रेमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत् कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. समिति द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत उक्त अग्रिम चैक अनादरित होने की स्थिति में संबंधित बैंक द्वारा बतौर शुल्क काटी गयी राशि एवं समिति द्वारा प्रभारित शुल्क ऋण खाते से डेबिट करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।
4. समिति को यह अधिकार प्रदान करता हूँ कि वह ऋण की किश्त डिफाल्ट होने की स्थिति में नियमानुसार दण्ड ब्याज मेरे ऋण खाते को डेबिट करे।

अधिकारदाता ऋणी

संलग्नः– चेक क्र. .... से

..............................तक (10 चेक)

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

स्थान ....

दिनांक ....

श्रीमान् प्रबंधक महोदय
म.प्र.राज्य सहकारी बैंक
कर्म.सह.साख समिति मर्या.
मुख्यालय, भोपाल

डेबिट अथॉरिटी

मेरे द्वारा संस्था से लिये गये ऋणों की किश्तें यदि किसी कारणवश (आयकर कटौती अग्रिम इत्यादि) किसी माह बैंक द्वारा मेरे वेतन से काटकर संस्था में जमा नहीं की जाती हैं तो उक्त माह की किश्तें मेरे अनिवार्य अमानत खाते को नामे कर वसूल कर लेवें।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गवाह का नाम :	ऋणी का नामः................................
पदस्थी स्थान :..........................	पदस्थी स्थानः ....
दिनांक :..........................	दिनांक :................................

घोषणा–पत्र

मेरे द्वारा संस्था से अनिवार्य जमा के विरुद्ध मध्यावधि उपभोक्ता, मध्यावधि ऋण, उच्च शिक्षा ऋण जिसकी भुगतान अवधि क्रमशः 60/84/180/120 माह है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नियोक्ता बैंक म0प्र0राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल में मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक .... को है इस प्रकार मेरी सेवा अवधि .... माह की शेष है, जो अवधि 60/84/180/120 माह से कम है। मैं यह स्वीकृति पत्र संस्था को स्वेच्छा से लिखकर दे रहा हूँ कि यदि संस्था मुझे ऋण आवेदन अनुसार रू. .... का ऋण स्वीकृत करती है तो मैं शेष सेवा अवधि में ऋण की पूरी राशि मय ब्याज के जमा करूंगा। मेरे मासिक वेतन से उपरोक्त कथनानुसार कटौत्रा करके निर्धारित मासिक किश्तें मय ब्याज के वसूली करने हेतु संस्था को सहमति प्रदान करता हूं। अद्यतन वेतन पत्रक के आधार पर यदि मुझे प्राप्ति योग्य वेतन से संस्था द्वारा निर्धारित किश्त कटौत्रों की स्थिति नहीं बनती है तो मेरे ऋण आवेदन की राशि उसी अनुपात में ऋण की रकम कम करने का अधिकार भी मैं संस्था को प्रदान करता हूँ। अतः ऋण आवेदन पत्र की पात्रतानुसार स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

गवाह	शपथकर्त्ता (ऋणी)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पद	पद ....
स्थान	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....

श्रीमान् प्रबंधक महोदय
म.प्र.राज्य सहकारी बैंक
कर्म.सह.साख समिति मर्या.
मुख्यालय, भोपाल

अधिकार-पत्र

मेरे द्वारा मध्यावधि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि संस्था मुझे ऋणावेदन अनुसार ऋण राशि स्वीकृत करती है तो मैं यह स्वीकृति पर संस्था को स्वेच्छा से लिखकर दे रहा/रही हूँ कि मेरे द्वारा लिये गये मध्यावधि उपभोक्त ऋण की बकाया राशि मय ब्याज की वसूली करने के उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावे।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गवाह का नाम :	ऋणी का नाम:.................................
पदस्थी स्थान :............................	पदस्थी स्थान: ....
दिनांक :............................	दिनांक :..................................